



सिद्धार्थनगर पुलिस



प्रेस नोट दिनांक 15.05.2026 जनपद सिद्धार्थनगर ।

◆डॉ0 अभिषेक महाजन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर ने जनता दर्शन में आये फरियादियों की समस्याएं/शिकायतों को सुना।

आज दिनांक 15.05.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई किया गया। जनसुनवाई के दौरान कुल 14 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें भूमि विवाद से सम्बन्धित 02, घरेलू विवाद-02, मारपीट-01 तथा अन्य 09 प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु संबंधित को आदेशित किया गया ।

प्रेस नोट दिनांक 15.05.2026 जनपद सिद्धार्थनगर ।

◆ मिशन शक्ति फेज 5.0 (द्वितीय चरण) अभियान के क्रम में थाना जोगिया उदयपुर मिशन शक्ति पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम-जोगिया की महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक कर जागरूकता अभियान के पोस्टर चस्पा किये गये ।

डॉ0 अभिषेक महाजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा में चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 15/05/2026 को अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी बांसी शुबेन्दु सिंह के कुशल निर्देशन में व थानाध्यक्ष अभय सिंह नेतृत्व में थाना जोगिया उदयपुर मिशन शक्ति टीम उ0नि0 आनंदकुमार शाही, म0का0 श्वेता यादव, रि0म0का0 शिपाली मौर्य थाना जोगिया उदयपुर द्वारा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत थाना क्षेत्र जोगिया उदयपुर के ग्राम-जोगिया में महिलाओं/बालिकाओं को नए कानून के बारे में बताते हुए मिशन शक्ति के तहत सरकार के विभिन्न सरकारी योजनाओं- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना व बहू सम्मेलन अभियान, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, रानी लक्ष्मी बाई बाल एवं महिला सम्मान कोष, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मातृ शक्ति को सम्बल, निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आदि अन्य योजनाओं से संबंधी जानकारी को बताया गया व जागरूक किया गया। मिशन शक्ति फेज 5.0 (द्वितीय चरण) कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण, एंटीरोमियो अभियान एवं साइबर अपराध सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी देते हुए विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चाइल्ड केयर लाइन, 108 एम्बुलेंस हेल्प लाइन, 101 अग्निशमन हेल्प लाइन, 14567 एल्डर हेल्पलाइन, 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर, नए कानून के बारे में जानकारी दी गई व नई धाराओं को भी बताया गया ।

प्रेस नोट दिनांक 15.05.2026 जनपद सिद्धार्थनगर ।

◆मिशन शक्ति फेज 5.0 (द्वितीय चरण) अभियान के क्रम में थाना मोहाना मिशन शक्ति टीम द्वारा थानाक्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय ककरहवा में बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान, नये कानून, साइबर अपराध सुरक्षा व एंटी रोमियो अभियान के तहत जागरूक किया गया ।

डॉ० अभिषेक महाजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रशांत कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व विश्वजीत सौरयान क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 15/05/2026 को थानाध्यक्ष जितेंद्र सिंह थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल नेतृत्व में मिशन शक्ति फेज 5.0 (द्वितीय चरण) अभियान के क्रम में थाना मोहाना मिशन शक्ति टीम . उप निरीक्षक जयमाल व महिला आरक्षी अंकिता सिंह द्वारा थानाक्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय ककरहवा में बालिकाओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला सम्बन्धित विभिन्न सरकारी योजनाओं- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना व बहू सम्मेलन अभियान, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, रानी लक्ष्मी बाई बाल एवं महिला सम्मान कोष, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मातृ शक्ति को सम्बल, निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आदि विभिन्न सरकारी योजनाओं से अवगत कराया गया तथा मिशन शक्ति फेज 05 (द्वितीय चरण) कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण, एंटीरोमियो अभियान एवं साइबर अपराध सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी देते हुए विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों-112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1090 वूमेन पावर हेल्पलाइन, 1076 माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 108 एंबुलेंस सेवा, 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा, 181 वीमेन हेल्पलाइन, 101 अग्निशमन सेवा आदि के बारे में जागरूक किया गया ।

प्रेस नोट दिनांक 15.05.2026 जनपद सिद्धार्थनगर ।

◆“आपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिट्रिंग सेल व थाना शोहरतगढ़ पुलिस की प्रभावी पैरवी से एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को 01 वर्ष 02 माह का कठोर कारावास व ₹2,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के तहत डॉ0 अभिषेक महाजन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 15.05.2026 को वाद सं0-190/2025 मु0अ0सं0-32/2025 धारा 8/21/23 एनडीपीएस एक्ट थाना शोहरतगढ़ में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री मोहम्मद रफी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या -01 जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मो आदिल पुत्र अब्दुल सलीम निवासी शिवमन्दिर टोला वार्ड न0-02 नगर पालिका तौलिहवा थाना प्रहरी कार्यालय सागर टोल जनपद कपिलवस्तु राष्ट्र नेपाल को धारा 21(ख) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत 01 वर्ष 02 माह का कठोर कारावास व ₹1,000/- व धारा 23(ख) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत 01 वर्ष 02 माह का कठोर कारावास व ₹1,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । सजा कराये जाने में जिला मानिट्रिंग सेल, अभियोजक रामसूरत यादव तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी उदय साहनी थाना शोहरतगढ़ का सराहनीय योगदान रहा ।

प्रेस नोट दिनांक 15.05.2026 जनपद सिद्धार्थनगर ।

◆थाना सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के आरोप में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

डा0 अभिषेक महाजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश के क्रम में प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन व विश्वजीत सौरयान क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक श्री मिथिलेश कुमार राय के नेतृत्व में थाना सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा थाना सिद्धार्थनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 70/26 धारा 137(2),87, 65(1), 115(2),352,351(3) बीएनएस व 3/ 4 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अंकित कुमार पुत्र बुद्धू उर्फ अशोक साकिन परसौना थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज हाल पता- काशीराम आवास ब्लाक नं0 25 कमरा नम्बर- 289 थाना व जनपद सिद्धार्थनगर को आज दिनांक 15.05.2026 को थानाक्षेत्र के बेलहिया मंदिर के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.अंकित कुमार पुत्र बुद्धू उर्फ अशोक साकिन परसौना थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज हाल पता- काशीराम आवास ब्लाक नं0 25 कमरा नम्बर- 289 थाना व जनपद सिद्धार्थनगर उम्र 19 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण---

- 01.प्र0 निरीक्षक श्री मिथिलेश कुमार राय थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 02.उ0नि0 श्री विजय कुमार थाना व सिद्धार्थनगर ।
- 03.HC हरिकेश यादव थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 04.का0 सीमान्त यादव थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट दिनांक 15.05.2026 जनपद सिद्धार्थनगर ।

◆यूपीआई के माध्यम से सोलर पम्प लगाने के नाम पर शिकायतकर्ता के खाते से फ्राड हुए संपूर्ण धनराशि ₹61,666/- को साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा वापस कराया गया ।

डॉ0 अभिषेक महाजन,पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में जनपद सिद्धार्थनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक श्री प्रशान्त प्रसाद के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी अपराध सुश्री रोहिणी यादव के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना श्री श्याम सुंदर तिवारी व टीम साइबर क्राइम पुलिस थाना द्वारा मो जमील अहमद साकिन पगार,थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर के साथ फ्राड हुए धनराशि को कार्यवाही करते हुए मो जमील अहमद के खाते में रूपया 61666 रुपए/- वापस कराये गए ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

शिकायतकर्ता श्री सकील अहमद साकिन पगार थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर के खाते से यूपीआई के माध्यम से सोलर पम्प लगाने के नाम पर दिनांक 16/04/2026 को ₹61,666/- जमा करा लिया गया था आवेदक को जैसे ही ज्ञात हुआ कि उसके साथ फ्राड हो हो गया आवेदक द्वारा NCRP पोर्टल के माध्यम से साइबर क्राइम थाना जनपद सिद्धार्थनगर पर शिकायत दर्ज कराया गया । उक्त शिकायत पर साइबर क्राइम थाना की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 15/05/2026 को मो जमील अहमद के खाते में संपूर्ण धनराशि 61666 /- रूपये वापस कराया गया । साइबर क्राइम पुलिस थाना की टीम के सराहनीय कार्य के लिए मो जमील अहमद द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।

धनराशि बरामद कराने वाली साइबर पुलिस टीम का विवरण-

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्यामसुंदर तिवारी।
- 2- निरीक्षक दानिश आजम ।
- 3- मुख्य आरक्षी दिलीप कुमार द्विवेदी
- 4- आरक्षी रामप्रवेश यादव, आशुतोष जायसवाल, विशाल तिवारी ।
- 5- म0 प्रियंका

प्रेस नोट दिनांक 15.05.2026 जनपद सिद्धार्थनगर ।

◆“ आपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिट्रिंग सेल व थाना शोहरतगढ़ पुलिस की प्रभावी पैरवी से एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को 01 वर्ष 02 माह का कठोर कारावास व ₹2,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के तहत डॉ0 अभिषेक महाजन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 15.05.2026 को वाद सं0-190/2025 मु0अ0सं0-32/2025 धारा 8/21/23 एनडीपीएस एक्ट थाना शोहरतगढ़ में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री मोहम्मद रफी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या -01 जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मो आदिल पुत्र अब्दुल सलीम निवासी शिवमन्दिर टोला वार्ड न0-02 नगर पालिका तौलिहवा थाना प्रहरी कार्यालय सागर टोल जनपद कपिलवस्तु राष्ट्र नेपाल को धारा 21(ख) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत 01 वर्ष 02 माह का कठोर कारावास व ₹1,000/- व धारा 23(ख) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत 01 वर्ष 02 माह का कठोर कारावास व ₹1,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । सजा कराये जाने में जिला मानिट्रिंग सेल, अभियोजक रामसूरत यादव तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी उदय साहनी थाना शोहरतगढ़ का सराहनीय योगदान रहा ।

प्रेस नोट दिनांक 15.05.2026 जनपद सिद्धार्थनगर ।

◆“आपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिट्रिंग सेल व थाना भवानीगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी से भारतीय वन अधिनियम के आरोपी को न्यायालय उठने तक व ₹500/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के तहत डॉ0 अभिषेक महाजन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 15.05.2026 को वाद सं0-1191/2019 मु0अ0सं0-396/2013 धारा 26 भारतीय वन अधिनियम थाना भवानीगंज में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री उदयन कुमार गौतम जे0 एम0 डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त गौरीशंकर पुत्र राम सुरेश निवासी फरौता थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक व ₹500/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । सजा कराये जाने में जिला मानिट्रिंग सेल, अभियोजक जज कुमार राना तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी सौरभ अग्रहरी थाना भवानीगंज का सराहनीय योगदान रहा ।

प्रेस नोट दिनांक 15.05.2026 जनपद सिद्धार्थनगर ।

- ◆वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस लाइन सभागार कक्ष में की गयी अपराध गोष्ठी ।
- ◆अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण एवं शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये ।

डॉ० अभिषेक महाजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा आज दिनांक 15.05.2026 को पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में अपराध गोष्ठी किया गया । अपराध गोष्ठी की शुरुआत जीरो फैटलिटी डिस्ट्रिक्ट के प्रजनटेशन से हुआ । तत्पश्चात महोदय द्वारा आगामी त्यौहार ईद-उल-जुहा के दृष्टिगत कृत कार्यवाही की समीक्षा तथा शहर व ग्रामीण इलाकों में पैदल गश्त, साइबर अपराध के रोकथाम सम्बन्धी प्रचार-प्रसार, आपरेशन कन्विकशन के तहत चिह्नित अभियोगों की समीक्षा, सम्पत्ति व महिला उत्पीड़न सम्बन्धित पंजीकृत अभियोगों में कृत कार्यवाही, गुमशुदा/लापता व बरामदगी हेतु शेष बच्चो की बरामदगी के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही तथा लम्बित मुकदमों में एकत्रित साक्ष्य एवं गुण-दोष के आधार पर विवेचनाओं का निस्तारण एवं अभियुक्तों के प्रति वैधानिक कार्यवाही गुण्डा अधिनियम, गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अभियान चलाकर निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने व गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही तथा बीपीओ द्वारा अंकित कराये गये बीट सूचना की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया । इसके अतिरिक्त महोदय द्वारा IGRS, CCTNS के सम्बन्ध में मुख्यालय द्वारा जारी रैकिंग की समीक्षा कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये तथा आई०जी०आर०एस० व NCRP प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण आदि बिन्दुओ की समीक्षा कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया ।

उक्त गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारीगण, प्रभारी अग्नि शमन, अभियोजन अधिकारी, प्रभारी प्रतिसार निरीक्षक, निरीक्षक प्रज्ञान शाखा, निरीक्षक रेडियो शाखा, समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, आशुलिपिक पुलिस अधीक्षक, वाचक पुलिस अधीक्षक, प्रभारी यू०पी०-112, समस्त शाखा प्रभारी व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे ।

प्रेस नोट दिनांक 15.05.2026 जनपद सिद्धार्थनगर ।

◆वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस लाइन सभागार कक्ष में सैनिक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में जनपद के विभिन्न थानों/शाखाओं से आए पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण की शिकायतें सुनी गईं तथा सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये ।

आज दिनांक 15.05.2026 को डॉ० अभिषेक महाजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस लाइन के सभागार कक्ष में सैनिक सम्मेलन आयोजित किया गया । सम्मेलन में जनपद के विभिन्न थानों/शाखाओं से आए पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की व्यक्तिगत व विभागीय समस्याएं एवं शिकायतें सुनी गईं। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आवास, चिकित्सा, अवकाश, स्थानांतरण, वेतन विसंगति एवं अन्य सेवा संबंधी समस्याओं को गंभीरता से सुना गया तथा संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का शीघ्र, गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। सम्मेलन में पुलिस कर्मियों को अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा व जनता के साथ शालीन व्यवहार बनाए रखने हेतु प्रेरित किया गया ।

प्रेस नोट दिनांक 15.05.2026 जनपद सिद्धार्थनगर ।

◆“आपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिट्रिंग सेल व थाना भवानीगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी से गाली-गुप्ता देने के आरोपी को न्यायालय उठने तक व ₹1500/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के तहत डॉ० अभिषेक महाजन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 15.05.2026 को वाद सं०-811/2019 मु०अ०सं०-38/2001 धारा 352,504 भादवि थाना भवानीगंज में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री उदयन कुमार गौतम जे० एम० डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त कप्तान पुत्र हरिराम निवासी परसा जमाल थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक व ₹1500/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । सजा कराये जाने में जिला मानिट्रिंग सेल, अभियोजक जज कुमार राना तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी सौरभ अग्रहरी थाना भवानीगंज का सराहनीय योगदान रहा ।